THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) to (c). The names of the companies which owned one or more coal mines prior to nationalisation and the amount payable to them in consideration of the assets of the coal mines having vested in the Government have been specified in the Schedules to the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act 1972 and the Coal Mines (Nationalisation) Act 1973. The specified amount was arrived at after valuation of the assets of the coal mines. The Government has no information about the losses, if any, reported in the balance sheets of the companies, which were in the private sector.

(d) The audit of the accounts for the management period is still in progress.

Vacant post of DIG Police in Delhi

5794. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Delhi has been without a DIG of Police any time during March, 1978; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a): No, Sir.

(b) Does not arise.

उद्योगों में निवेश के लिये केन्द्रीय सहायता

5795. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों में निवेश के लिए केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) क्या यह सहायता इन जिलों के कुछ विकास खंडों तक सीमित रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में योजना को सभी जिलों में लागू नहीं किया जा सकता ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के पूंजी निवेश में 15 प्रतिशत की दर से अधिक से अधिक 15 लाख रुपये तक की राज सहायता देती है।

(ख) देश में 101 जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह चुना गया है। मध्य प्रदेश राज्य में 22 पिछड़े जिलों के 65 खण्डों वाले 6 क्षेत्रों को यह राज-सहायता पाने के लिए अर्ह चुना गया है।

(ग) जी, नहीं।

गांधी आश्रम, दिल्ली में 'न लाभ न हानि'

5796. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में श्री गांधी आश्रम 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 दिसम्बर, तक का हानि तथा लाभ का विवरण क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सहायता प्राप्त श्री गान्धी आश्रम नामक कोई संस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।